भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 131/जीएस/14-2010(खंड-।।) दिनांक : 25.04.2016

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली, डिजिटल विडियोग्राफी तथा स्टील फोटोग्राफी की सेवाएंप्रदान करने के प्रमाणित अनुभव वाली प्रतिष्ठित फर्मों/कम्पनियों/एजेंसियो/प्रोप्रीएटर से मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करता है। डिजिटल विडियोग्राफी तथा स्टील फोटोग्राफी को आवश्यकता के आधार पर प्रदान किया जाना है।

मुहरबंद उद्धरण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जीएस), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 को सम्बोधित निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत रूप से भर कर **<u>दिनांक 24.05.2016</u>** <u>को 11.00 बजे पूर्वाहन</u> तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। मुहबंद उद्धरण नियत तिथि एवं समय तक इस कार्यालय के जीएस अनुभाग में डिलीवर किया जाना चाहिए। सभी निबंधन एवं शर्तों के साथ विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के जीएस अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस मे अपराहन 4.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे के बीच लिया जा सकता है। यह http://saiindia.gov.in. वेबसाइट पर भी उपलब्ध है1 यह बोली भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा तथा ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं, समिति कक्ष में **<u>दिनांक 24.05.2016</u>** **<u>को अपराहन 3:00 बजे</u>** खोली जायेगी। सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी उद्धरणों को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

(दिनेश कुमार)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

(i) सामान्य निबन्धन और शर्तें

1. बोलियां एकल बोली प्रक्रिया में आमंत्रित की जाती हैं अर्थात एक एकीकृत बोली जिसमें बोलीदाता के अनुभव का विवरण और स्वामित्व वाला प्रत्यय पत्र शामिल हो और बोलीदाता द्वारा उद्घृत दरें हों।

2. दरें निविदा फार्म में उचित कालम में आंकडों के साथ साथ शब्दों में उद्धृत होनी चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. बोलीदाता को निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और फर्म की स्टाम्प लगानी चाहिए।

4. फर्मों द्वारा उद्घृत दरों की विशिष्टताओं की निविदा फार्म में आपूरित विस्तृत विशिष्टताओं से पुष्टि होनी चाहिए।

5. इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद फर्म कार्य के लिए दर संविदा करेगी। निविदा की वैद्यता के दौरान फर्म विशिष्टताओं के अनुसार कार्य करेगी।

6. बोलियां ₹ 30,000 (केवल तीस हजार रूपये) की बयाना राशि के साथ किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली के पक्ष में होनी चाहिए। जो दिल्ली में देय हो। कोई चैक, पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर/मनी गारंटी/रोकड भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को संविदा देने से पूर्व कार्य के निष्पादन पूर्व निष्पादन, प्रतिष्ठा, क्षमताओं को ध्यान में रखने का पूरा अधिकार/प्राधिकार है। फर्म को अपेक्षित प्रबंधन के पूर्व अनुभव की उनकी क्षमता और विवरणों को दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

8. प्रत्येक बोलीदाता पर सभी स्थानीय परिस्थितियों और घटकों के साथ अपने आप को पूरी तरह से परिचित करना अनिवार्य होगा जिससे संविदा के निष्पादन पर कोई प्रभाव पडेगा। एक बार इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति पर कोई स्थानीलय परिस्थिति

या घटक के कार प्रभारों या दिए गए समय के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9. यह कार्यालय सरकार के हित में किसी भी निबंधन एवं शर्त से छूट देने का अधिकार रखता है।

10. कोई शर्त/वैकल्पिक बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और बोलियों की प्राप्ति के अन्तिम दिन की समाप्ति के बाद बोलीदाताओं की बोलियों को संशोधित या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. इस कार्यालय के सक्षम अधिकारी के पास बोली को बिना कोई कारण दिए आपूर्ति आदेश देने/निविदा हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी भी समय स्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है।

12. बोलीदाता की मुद्रित निबंधन और शर्तों को उनकी बोली के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

13. बोलीदाता को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या उसका प्रस्ताव निविदा की सभी निबंधन और शर्तों की आवश्यकता का समनुरूप है।

14. बोलीदाता को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या उसका प्रस्ताव बीओक्यू (मात्रा के बिल) में दी गई आवश्यकता को पूरा करता है।

15. बोलीदाता को समझना है कि जिसे कार्य दिया गया है उसे इस कार्यालय की पूरी संतुष्टि से कार्य को पूरा करना होगा।

16. बोलीदाता जो निविदा में परिभाषित सभी मदों, डिजिटल विडियोंग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी की सभी मदों की दरें उद्घृत करेगा, निविदा के योग्य होगा। किसी भी बोली में जहां केवल विशिष्ट कार्य के लिए आंशिक उदरण होगा, को अस्वीकार कर दिया जाएगा। वह बोलीदाता जो केवल 24 घंटे X07 दिन के लिए सभी प्रकार के विडियों

फोटोग्राफी कैमरा के साथ संचालकों की आपूर्ति करने के लिए सहमत होगा पर विचार किया जाएगा।

17. बोलीदाता इस देश के कानून के अनुसार सभी विधिक औपचारिकताओं, दायित्वों और संविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बाध्यकारी है।

18. बोलीदाता के पास काम करने के लिए पर्याप्त क्षमता के कैमरा तथा संचालक होने चाहिए। उसे इस कार्यालय के प्रतिकूल किसी अन्य पार्टी को अपनी संविदा अथवा उसका कोई भाग प्रत्यायोजित/हस्तांतरित/प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।

19. इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी समय कोई कारण बताए बिना अंशिक अथवा किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा आदेश को निरस्त करने का भी पूरा अधिकार है। बोलीदाता को आपूर्ति आदेश के निरस्तीकरण पर किसी हानि/नुक्सान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

20. इस कार्यालय के सक्षम प्रधिकारी के पास अनुमोदित न्यूनतम दरों पर एक अथवा अधिक ठेकेदारों को आवश्यकनुसार पूरे कार्य के लिए आदेश देने का अधिकार है।

21. इस कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी किसी भी कारण से बोलियों के प्रस्तुतिकरण में किसी विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

22. निविदा खोलने की तिथि को एक सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में, निविदा निर्धारित समय पर अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

23. बोलीदाता न्यूनतम अवधि (02 घण्टे) में मंगाए जाने पर संचालकों सहित पर्याप्त कैमरों की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए।

24. बोली की वैधता के दौरान उद्धृत मूल्य में कोई वृद्धि अनुमत नहीं की जाएगी।

25. अनुमोदित ठेकेदार सारे व्यय वहन करेगा।

26. बोलीदाता को इस कार्यालय द्वारा अथवा यह कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सूचित किये गए किसी समय अथवा स्थान पर संचालकों सहित कैमरों की आपूर्ति के लिए कहा जाएगा।

27. बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों में शामिल किए गए करों तथा उगाहियों की दरें स्पष्ट रूप से दर्शातें हुए सभी कर तथा उगाहियॉ शामिल होगीं।

28. उद्धृत दरें बीओक्यू के अनुसार होनी चाहिए।

29. तिथि, समय तथा घण्टों के साथ नाम, मोहर तथा पदनाम के साथ संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित विधिवत डयूटी पर्ची प्राप्त करना कैमरा संचालक का उत्तरदायित्व होगा।

30. डयूटी पर्ची पर उपरिलेखन/काट-छॉट पाये जाने पर ऐसी डयूटी पर्ची के प्रति प्रस्तुत किये गए बिल पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. बोलीदाता अनुमोदित दरों पर संचालकों के साथ कैमरों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। निविदा की वैधता संविदा की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक होगी।

32. वह बोलीदाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई है, उसे बाद में यहॉ आपूर्तिकर्त्ता कहा जाएगा जिसमें उसके उत्तराधिकारी कार्यकारी, प्रशासन तथा समनुदेशिती शामिल होगें।

33. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। अनुप्रयोज्य कर नियमानुसार काटे जाएंगे।

34. निविदाकार बोलीदाता द्वारा शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार संविदा का क्रियान्वयन करने में विफल होने पर, फर्म द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

35. अनुमोदित न्यूनतम दरें एक वर्ष तक वैध होगीं। सविंदा को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुमोदित दरों पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

36. दरों के अनुमोदन के संबंध में इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। इस संबंध में किसी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

37. सफल बोलीदाता ₹ 100/- के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।

38. इस संबंध में कि फर्म को किसी सरकारी विभाग/पीएसयू/निगम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा उपयुक्त रूप से सत्यापित शपथपत्र।

39. देय तारीख और समय पर प्राप्त हुई निविदाओं पर ही केवल विचार किया जाएगा और देय तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं को कोई कारण बताए बिना अस्वीकार किया जाएगा।

40. निविदा करार की शर्तों तथा निबन्धन में किसी खण्ड की व्याख्या के संबंध में होने वाले किसी विवाद अथवा अन्यथा की स्थिति में, मामला इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामॉकित मध्यस्थ को प्रेषित किया जाएगा।

41. इस कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी कैमरा/संचालकों को हुई किसी क्षति/हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

42. इस निविदा और दिए गए ठेके से संबंधित किसी भी कानूनी विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के तहत किया जाएगा।

43. बोलीदाताओं को सभी क्षति/प्रभारों के प्रति विभाग को पूर्ण क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए सरकार को कुछ भुगतान करना हो अथवा बोलीदाता या उसके नौकरों या किसी व्यक्ति द्वारा उसके नियंत्रण के तहत अनदेखी करने के कारण भुगतान करना हो चाहे दुर्घटना, किसी व्यक्ति को चोट लगना या सार्वजनिक लोगों या परिसंपत्तियों को किसी नुकसान या कार्य निष्पादन अथवा अन्यथा सभी क्षति और उसकी माँग का भुगतान करना होगा।

44. यदि शर्तों एवं निर्बंधनों का उल्लंघन किया जाता है तो बिना कुछ भी सुने जुर्माना वसूला जाएगा। शर्तों एवं निर्बंधनों के उल्लंघन के मामले में फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तथा इस विभाग में पाँच वर्षों तक निविदा में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

45. यदि सेवाओं में व्यवधान हुआ तो जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने के साथ व्यवधान की राशि भी प्रभारित की जाएगी जो इस प्रकार है:-

(क)	यदि वेंडर फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर नहीं उपलब्ध कराता	₹ 1500/- प्रति कार्य का जुर्माना वसूला जाएगा।
(ख)	यदि वेंडर द्वारा उपलब्ध कराया गया फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर ड्यूटी नहीं कर पाता	किसी भी त्रुटि के लिए गैर भुगतान के अलावा ₹ 500/- प्रति फोटोग्राफर/ वीडियोग्राफर जुर्माना/खराबी से एक घंटे के भीतर वेंडर को दूसरा कैमरा उपलब्ध कराना चाहिए

(ग)	यदि किराए पर लिया गया फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर देरी से ड्यूटी पर आता है	उपरोक्त (ख) के अनुसार
(घ)	यदि प्रदान की गई फोटोग्राफर सेवायें उप-मानक स्तर की हैं	उपरोक्त (ख) के अनुसार

46. फर्म को कार्यालयी आयोजनों, बैठकों और अन्य समरोहों पर रंगीन फोटोग्राफ (सरकारी) आवश्यकतानुसार अलग-अलग आकार के) प्रदान करने होंगे। किराए पर लिए गए फोटोग्राफर को स्वयं आना होगा।

47. फोटोग्राफर को विभिन्न कार्यालयों/स्थानों में फोटोग्राफ लेना होगा जहां उसे ऐसा करने के लिए कहा जाएगा।

48. इस कार्यालय के पास घटिया प्रिंट, त्रुटिपूर्ण या अनुपयुक्त पाए जाने पर भुगतान न करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

49. किराए पर लिए गए फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर को नोटिस/सूचना देने के एक घंटे के भीतर बताए गए स्थान पर पहुँचना होगा।

50. अपेक्षित समय के भीतर कार्यालय को फोटोग्राफ पहुँचाने या किसी अन्य संबंधित कार्य की जिम्मेदारी फर्म या फोटोग्राफर की होगी। परिवहन के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। फर्म के नियुक्त फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर को फोटो/वीडियोग्राफी हेतु निर्धारित स्थान पर स्वयं पहुँचना होगा।

51. फर्म का अपना स्वयं का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कार्य को बाहर से कराए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

52. फोटो/वीडियो इस कार्यालय में पहुँचाया जाना चाहिए और इसके लिए किसी परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

53. फर्म को बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उक्त डीवीडी/सीडी की प्रति सहित विडियो/डिजीटल कवरेज की डीवीडी की वास्तविक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। फर्म फोटो कवरेज की एक डीवीडी/सीडी भी प्रस्तुत करेगा, यदि कोई है।

(2). **निविदा की समय सारणी**

2.1 बोलीदाता को एकीकृत बोली अर्थात् एकल बोली में प्रस्तुत करनी होगी:

> न्यूनतम अपेक्षित परिचय पत्रों की पूर्णता के संबंध में आवश्यक सभी दस्तावेज

> बयाना राशि जमा

> निविदा दस्तावेज की हस्ताक्षरित और स्टैम्प वाली प्रति

2.2 यह 24.05.2016 को 11:00 बजे पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित कार्यालय में बोली प्रस्तुत की जाएगी। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता, जो बोली खोलने के समय पर प्रस्तुत रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में 24.05.2016 को 03:00 बजे को बोली खोली जाएगी। बोली की खोलने के समय पर प्रस्तुत रहने पर एक अधिकार पत्र बोलीदाता द्वारा रखा जाना अपेक्षित होगा। अधिकार पत्र बोलीदाता की ओर से आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(3). **बोलीदाता की योग्यता**

3.1 दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द ''बोलीदाता'' का अर्थ होगा कि जो बोली फार्म में हस्ताक्षर करेगा या जो संलग्न किये जाने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज कम्पनी/फर्म आदि की ओर से हस्ताक्षर कर सकता है। बोलीदाता इस क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव होने वाले किसी कम्पनी/फर्म/अधिकारी/एजेंसी हो सकती है। निविदा फॉर्म हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या अधिकारी/कम्पनी/फर्म की ओर से निविदा की ओर से किसी दस्तावेज को बनाने वाले कम्पनी या मुख्तारनामे द्वारा पास किये गये लागू स्वीकृत प्रस्ताव की अप्राधिकृत प्रति प्रस्तुत करने के लिए यह बताते हुए उत्तरदायी होगी कि विवाचित खंड सहित निविदा से संबंधित सभी मामलों में, जैसा भी मामला हो, फर्म के ऐसे अन्य व्यक्ति प्राधिकरण के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। परिणामत: यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित समय में पास किये गये स्वीकृत प्रस्ताव की उक्त प्रति या मुख्तयारनामा प्रस्तुत करने में असफल रहने वाले व्यक्ति, सरकार अन्य सामान्य और आपराधिक उपचारों के पूर्वाग्रहों के बिना निविदा को निरस्त कर सकता है और सभी लागत और क्षति हेतु हस्ताक्षरकर्ता की जिम्मेदारी होगी। पंजीकृत भागीदार फर्म के मामले में, सभी भागीदारों को निविदा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि किसी लिमिटेड कम्पनी या फर्म की ओर से कोई व्यक्ति समझौतों पर हस्ताक्षर करता है, वह कम्पनी या फर्म की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कम्पनी उसको सशक्त करते हुए अधिकार पत्र/पास किया गया प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

3.2 बोलीदाता भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों (कार्य आदेशों और प्राप्त हुए अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न) में विडीयोग्राफी और फोटोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ठेका देने से पहले विगत निष्पादन,

प्रतिष्ठा, कार्य निष्पादन में उपयुक्तता/क्षमताओं के संबंध में पूर्ण शक्ति/अधिकार इस कार्यालय के सक्षम अधिकारी का होगा।

3.3 संलग्न की जाने वाले पैन और सेवा कर संख्या प्रतियां बोलीदाता के पास अवश्य होनी चाहिए।

3.4 बोलीदाता विगत पांच वर्षों में कुल एक ठेके के लिए जिसकी लागत ₹ 5 लाख से कम न हो विडीयोग्राफी और फोटोग्राफी का कम से कम एक ऐसा कार्य भी किया होना चाहिए (बोलीदाता पूर्ण किये गये प्राप्त ठेके की लागत दर्शाते हुए और सहायक दस्तावेज अर्थात् फार्म-16 अर्थात संबंधित विभाग से टीडीएस कटौती को संलग्न करना आवश्यक होगा)।

4. **बोली सुरक्षा (बयाना राशि):**

4.1 बोली सुरक्षा (बयाना राशि) पीएओ, प्र.महालेखापरीक्षक (लेखापरीक्षा), दिल्ली, दिल्ली में देय के पक्ष में किसी राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक से खातों में देय डीमांड ड्राफ्ट,निर्धारित जमा पावती के रूप मे राशि ₹ 30,000 (रूपये तीस हजार केवल) के रूप में बोली सुरक्षा (बयाना राशि)।

4.2 बोली प्रतिभूति (बयाना राशि) इस कार्यालय द्वारा बोली खोलने की तिथि से 3 महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इस कार्यालय द्वारा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4.3 बोली प्रतिभूति (बयाना राशि) /निष्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित मामलो में जब्त की जा सकती है:

क) यदि बोलीदाता वैधता की अवधि के दौरान उसकी बोली वापस लेता है; या

ख) अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता असफल होता है:

(i) निविदा के अनुसार ठेका निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में; या

(ii) यदि किसी चरण पर कोई सूचना/घोषणा गलत पाई जाती है।

(iii) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ठेको को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार तथा इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के लिए निष्पादित करने में विफलता के मामले में फर्म द्वारा जमा प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

4.4 अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता के संबध में बोली प्रतिभूति (बयाना राशि) बोलीदाता के ठेका पर हस्ताक्षर होने तथा ठेका निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त की जाएगी।

5. **बोली की वैधता की अवधि :**

निविदा की वैधता ठेके की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष होगी। यद्यपि, ठेका अवधि की वैधता परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर विस्तारित की जा सकती है।

6. बोली की आवश्यकताएं:

6.1 बोलीदाता को बीओक्यू में सभी मदों के लिए अवश्य उद्धरण दें।

6.2 सफल बोलीदाताओं को 60,000/(रूपये साठ हजार केवल) की राशि की ठेका निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ठेका निष्पादन प्रतिभूति को सफल बोलीदाता से इसकी पंजीकरण स्थिति पर ध्यान दिए बिना प्राप्त करना है। निष्पादन प्रतिभूति किसी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से एफडीआर के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

6.3 बोलीदाताओं को उनके मालिक, भागीदारों, निदेशको, इत्यादि की सूची तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथपत्र के रूप में वचन इस प्रभाव के साथ जमा कराना चाहिए कि फर्म को किसी सरकारी विभाग/पीएसयू/निगम इत्यादि द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है। किसी सरकारी विभाग/पीएसयू/निगम इत्यादि द्वारा ब्लैकलिस्टेड फर्मों की सूची में बोलीदाता का नाम प्राप्त होने की दशा में इस निविदा के लिए उस फर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.4 बयाना राशि के बिना प्राप्त बोलियों को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6.5 सर्शत बोली, टेलेक्स/ फैक्स द्वारा भेजी गई बोलियां तथा अपूर्ण बोलियों को फौरन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7. बोली की कीमते:

7.1 बोलीदाता को बीओक्यू के अनुसार दरें दर्शानी होंगी।

7.2 किसी अस्पष्टता को परिहार करने के लिए कोई कॉलम खाली न छोडते हुए प्रभारों को पूर्ण रूप से बीओक्यू के अनुरूप उद्दत किया जाना चाहिए ।

7.3 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीओक्य के सभी कॉलम विधिवत भरे गए है तथा कोई कॉलम खाली नहीं रहा है। बोली की कीमत खोलने के बाद, किसी भी स्पष्टीकरण पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

7.4 बोलीदाता निविदा की वैधता के दौरान स्वीकृत दरो पर प्रचालक के साथ कैमरा प्रदान करने के लिए बाध्य है। कैमरे अच्छी स्थिति में होने चाहिए तथ खराब होने/ठीक से काम न करने की स्थिति में तुरंत ही बदलना चाहिए। यदि निविदा की वैधता के दौरान किसी भी कारण से किसी भी सेवा के प्रभार कम किए जाते है, तो बोलीदाता घटे हुए प्रभारों को तुरंत सूचित करेगा और उद्धरण की गई दरों के बजाय घटी हुई दरें प्रभारित करेगा।

8. बोली की सामग्रीः

बोलीदाता द्वारा तैयार की जाने वाली बोली में निम्नलिखित संघटक शामिल होंगेः-

क) बोली निम्न से गठित होती है और निविदा दस्तावेज में उपलब्ध की गई फॉर्मेट शीटों में भरी जाती है। यह अनिवार्य हैः

i. पहले किए गए कार्य के अन्य समान स्वरूप या चुनाव संबंधित कार्य के प्रमाणित अनुभव/क्षमताओं वाले दस्तावेजी प्रमाण। (कार्य आदेशों और अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रति साथ लगाएं)

ii. बोलीदाता (बोलीदाताओं)/साझेदार (रों) के विवरण और कार्यकारी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित शपथपत्र के रूप में किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/निगमों द्वारा काली सूची में नहीं डाले गए उपक्रम

iii. बोली प्रपत्र नई दिल्ली पर भुगतानयोग्य पीएओ, प्र. महालेखाकर (लेखापरीक्षा) दिल्ली के पक्ष में डिमॉड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंक गारंटी/एफडीआर के रूप में ईएमडी

iv. पैन और सेवा कर संख्या की प्रति

v. पिछले तीन वर्ष की आय कर विवरणी की प्रति

vi. प्राप्त संविदा की लागत को दर्शाने वाला कार्य समापन प्रमाणपत्र और एक सहायक दस्तावेज अर्थात प्रपत्र-16ए अर्थात ₹5 लाख की न्यूनतम लागत के एक समान कार्य की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी के समापन के लिए संबंधित विभाग से कटौती किया गया प्रमाणपत्र।

vii. बीओक्यू (मात्रा का बिल)- मूल्य

9. भुगतान अनुसूची

इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी/व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डयूटी स्पिलपों के प्रति बोलीदाता आवधिक रूप से बिलों का दावा कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आय कर नियमों के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा।

अध्याय - 2

संविदा की शर्तें

1. संविदा निष्पादन बैंक गारंटी

1.1 संविदा हस्ताक्षरित करते समय कम्पनी एक राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक से ₹60,000 (केवल रूपये साठ हजार) की राशि की एक संविदा निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी। निष्पादन प्रतिभूति एक स्वीकार्य प्रपत्र में किसी भी वित्तीय बैंक से एफडीआर के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

1.2 संविदा निष्पादन प्रतिभूति नई दिल्ली पर भुगतान योग्य पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, के नाम में होगी।

1.3 दर संविदा आवांटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा निष्पादन प्रतिभूति वैध होनी चाहिए। यह संविदा अवधि के सफलतापूर्वक समापन के 30 दिनों के बाद निर्मुक्त की जायेगी।

2. निर्णीत हर्जानेः

यदि आपूर्तिकार समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल होता है तो कार्यालय आपूर्तिकार फर्म के जोखिम और लागत पर स्थानीय बाजार से उसकी व्यवस्था करेगा। इसके अलावा प्रचालक के साथ प्रति कैमरा प्रति दिन ₹ 1500/- का जुर्माना उदग्रहीत किया जायेगा।

3. चूक पर समापन

3.1 इस कार्यालय के सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव की अनदेखी करने के लिए और/या किसी आपूर्तिकर्ता के विफल होने पर और चूक को सुधारने की सुधारात्मक कार्रवाई करने और आंशिक रूप से या पूर्णतः इस ठेके को निरस्त करने के लिए फर्म को भेजी गई चूक की लिखित सूचना 12 घंटों तक संविदा के उल्लंघन के लिए अन्य सुधार के प्रभाव के बिना देनी होती है।

i. मॉग पत्र के विनिर्दिष्ट समयावधि के अन्दर सेवा प्रदान करने में यदि आपूर्तिकार असफल होता हैः या

ii. यदि आपूर्तिकार संविदा के तहत कोई भी अन्य बाध्यता (ओं) के निष्पादन में असफल होता है।

3.2 संविदा की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए या चूक के लिए संविदा के समापन पर आपूर्तिकार की निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी और ठेकेदार को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।

4. विवादों का समाधान

निविदा करार के निबंधन एवं शर्तों के किसी भी खण्ड की व्याख्या से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर या अन्यथा मामला इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी क्षरा नामांकित मध्यस्थ को संदर्भित किया जायेगा। दिल्ली/नई दिल्ली न्यायालय इस निविदा में उदभूत हुए किसी विवाद/मुकदतों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार रखेगा।

अध्याय-3

<u>मात्रा के लिए: उद्धृत कीमतें</u>

क्रम सं.	कार्य	उद्धृत दरें (सेवा कर के बिना)
1.	नियत कार्य प्रकार- पूरे दिन का डिजीटल वीडियो कवरेज और असली डीवीडी तथा समान फंक्शन की राइट वन डीवीडीआर	
2.	नियत कार्य प्रकार- आधे दिन का डिजीटल वीडियो कवरेज और असली डीवीडी तथा समान फंक्शन की राइट वन डीवीडीआर	
3.	नियत कार्य प्रकार- पूरे दिन का स्टिल फोटो कवरेज और असली डीवीडी तथा समान फंक्शन की राइट वन डीवीडीआर	
4.	नियत कार्य प्रकार- आधे दिन का स्टिल फोटो कवरेज और असली डीवीडी तथा समान फंक्शन की राइट वन डीवीडीआर	
5.	नियत कार्य प्रकार-पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेने के लिए	
6.	ग्रुप फोटोग्राफ लेने के लिए नियत कार्य प्रभार	
7.	प्लेन अच्छी गुणवत्ता की टोप लैदर कवर की 100 फोटो 5x7'' के लिए फोटो एलबम प्रभार	
8.	मिनी डीवी टेप्स की लागत	
9.	डीवी टेप्स से डीवीडी बनाने की लागत	
10.	टाइटल, डबिंग तथा एडिटिंग की लागत	
11.	अच्छी लैमिनेशन-सभी गुणवत्ता दरें प्रत्येक वर्ग में दी जानी चाहिए।	
12.	सीडी में डिजीटल चित्र	
13.	डीवीडी का डुप्लीकेशन	
14.	सीडी का डुप्लीकेशन	

	फोटोग्राफ प्रभार	मूल कॉपी के प्रभार	अतिरिक्त कॉपी के प्रभार
15.	पासपोर्ट आकार के फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		
16.	पोस्ट कार्ड आकार के फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		
17.	4x6'' फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		
18	5x7'' फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		
19.	6x8'' फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		
20.	8x10'' फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		
21.	8x12'' फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		
22.	10x12'' फोटो के लिए प्रभार (प्रति कॉपी)		

शर्तें

1. बोलीदाता डिजीटल विडियोग्राफी और डिजीटल स्टिल फोटोग्राफी दोनों के लिए सभी मदों हेतु दरे अवश्य उद्धृत करे।
2. प्रभारों में सेवाकर शामिल नहीं होगा, जोकि सरकारी प्रतिमानों के अनुसार देय होगा।

अनुबंध-1

कार्यकारी मैजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा यथाव प्रमाणित शपपत्र के रूप में वचन

मैं/हम वचन देते हैं कि:

1. अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि मैंने/हमने उपरोक्त उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता/देते हैं। मेरे द्वारा/हमारे द्वारा उद्धृत दरें ठेका की स्वीकृति कि तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य और स्वीकृति के पश्चात मुझे/हम पर बाध्यकारी हैं जिसे परस्पर सहमति पर निबंधनों एवं शर्तों पर अगली अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. मैं/हम अधोहस्ताक्षरी निर्धारित अवधि के दौरान डीजीटल विडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ स्वयं को बांधते है।

3. कार्य की गुणवत्ता के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मुझ/हम पर बाध्यकारी होगा।

4. पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के पक्ष में देय पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई बयाना राशि अर्थात ₹ 30,00/- (मात्र तीस हजार रूपए) नई दिल्ली में देय है।

5. मैं/हम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई बयाना राशि/ठेका निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार देता हॅूं यदि मेरी/हमारी तरफ से कोई विलंब हुआ। यदि मैं हम या मेरे/हमारे एजेंट निर्धारित स्थान एवं समय पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय में सेवाएं देने में विफल रहते है तब अन्य स्रोत से उनकी व्यवस्था की जा सकती है और मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बिलों या मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई निष्पादन प्रतिभूति से उसके संबंध में किए गए भुगतान से अतिरिक्त राशि की कटौती की जाए, यदि कोई है।

6. यदि इस कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी ठीक न पाए जाने पर कैमरा एवं संचालक को बदलना आवश्यक समझे तो असुविधा से बचने के लिए उक्त को मेरे/हमारे द्वारा समय पर बदल दिया जाएगा।

7. अत: मै/हम निश्चित रूप से निर्धारित अवधि में आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार निविदा की वैद्यता के दौरान सेवाएं देने का वचन देता हॅूं।

8. यहां दी गई शर्त होने वाले करार का भाग होगी अथवा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के वर्णन अनुसार स्वयं करार ही मानी जाएगी।

9. यदि मैं/हम मांगी गई सेवाओं को तत्काल उपलब्ध कराने में विफल रहते है तो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को ₹ 1500/- प्रति दिन प्रति कैमरा की शास्ति लगाने के अलावा बयाना राशि/ठेका निष्पादन प्रतिभूति को संयोजित या जब्त करने का पूरा अधिकार है।

10. मैं/हम घोषणा करते है कि निविदा फर्म/कंपनी के स्वामी/भागीदार/निदेशकों सहित कोई विधिक/वित्तीय अनियमितताएं लंबित नहीं हैं।

11. मैं/ हम वचन देते है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित एवं संस्वीकृत की गई मेरे/हमारे द्वारा उद्धृत दरें लागू अवधि के लिए वैद्य होगी। मैं/हम निर्धारित अवधि में सेवाएं उपलब्ध कराने का वचन देते है। मैं/हम निर्धारित अवधि में आदेश को कार्यान्वित करने का वचन देते है और यदि मैं/हम निर्धारित अवधि के दौरान कैमरा और संचालकों की वांछित संख्या की आपूर्ति करने में विफल रहते है तो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

12. मैं/हम वचन देते है कि उपलब्ध सेवाऐं उदघृत दरों पर ही है।

13. मैं/हम वचन देते है कि फर्म के संबंध में कोई जॉच लम्बित नहीं है और नही चल रही है।

14. मैं/हम ___________सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हॅूं और घोषणा करता हॅूं कि व्यक्ति/फर्म/कम्पनी, किसी केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र/विभागों/अधिकारियों/वैधानिक निकायों/स्वायत्त संगठनों/अनुसंधान संस्थानों/निगमों और किसी भी अदालत की काली सूची में नही है और किसी सहयोगी या उसके शेयर धारक के विरूद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कारबार के किसी अस्तित्व ब्याज के साथ जो मेरे/हमारे फर्म के साथ सम्मिलित है।

दिनांक

हस्ताक्षर और बोलीदाता की मुहर

अनुबन्ध 2

बोलीदाताओं के विवरण के लिए प्रोफार्मा

1. बोलीदाता/सहभागी का नामः

2. बोलीदाता/सहभागी का पताः

3. व्यक्ति का नाम और पताः

4. दूरभाष संख्याः

5. लैडं लाइनः

6. मोबाइलः

7. फैक्सः

8. ई-मेलः

दिनांकः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुहर सहित

अनुबंध-3

बोली प्रपत्र

दिनांक:......./...../.......

सेवा में

....

महोदय,

डिजिटल विडियोग्राफी और डिजिटल हेतु सेवा प्रदान करने के लिये निविदा के बोली दस्तावेजों की जांच करने के बाद। हम .... (फर्म का नाम) राशि, जो बोली में दर्शायी गई मूल्य की अनुसूची (बीओक्यू) के अनुसार निर्धारित हो, के अनुसार कथित निविदा प्रावधान के अनुरूप ऑपरेटर सहित डिजिटल विडियोग्राफी सेवा प्रदान करने की प्रस्ताव करते हैं।

हम वचन देते हैं, यदि हमारी बोली स्वीकृत हुई, हम **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय** की आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित कार्य पूर्ण करेंगे।

इसके अतिरिक्त हम वचन देते हैं कि, यदि हमारी बोली स्वीकृत हुई, हम ठेके के यथोचित निष्पादन हेतु ₹ 60,000 (रूपये साठ हजार केवल) की राशि की राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की गारंटी प्राप्त करेंगे।

मैं/हम बोली खोलने के लिये निर्धारित तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये इस बोली का पालन करने के लिये सहमत हैं और यह हम पर बाध्यकारी है और उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय स्वीकृत होगा। यह बोली आपकी इसकी लिखित स्वीकृति और प्रदान करने की आपकी अधिसूचना के साथ हमारे बीच अनिवार्य अनुबंध संस्थापित करेगी।

हमने ठेका प्रपत्र का विषय नोट कर लिया है और उसके निबंधन एवं शर्तों का पालन करने के लिये सहमत हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मोहर

अनुबंध-4

जाँच सूची

यदि कोई भी अंतर है तो उसे अलग से स्पष्ट करें।

1.	क्या आपने बोली एकल बोली प्रणाली में प्रस्तुत की है	हाँ/नहीं
2.	क्या आपने बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया है	हाँ/नहीं
3.	क्या आपने बोलीदाता/भागीदार के विवरण निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत किये हैं।	हाँ/नहीं
4.	क्या आपने निविदा दस्तावेज के अनुसार (बयाना राशि) प्रस्तुत की है?	हाँ/नहीं
5.	क्या आपने निविदा दस्तावेज का विषय ध्यान से पढ़ा है?	हाँ/नहीं
6.	क्या आप निविदा दस्तावेज में अपेक्षित अनुसार आवश्यक योग्यता को पूर्ण रूप से पूरा करते है	हाँ/नहीं
7.	क्या आपने निविदा में उल्लिखित अनुसार कार्य को समझ लिया है	हाँ/नहीं
8.	क्या आपने आयकर का पैन और सेवा कर पंजीकरण संख्या संलग्न किया है	हाँ/नहीं
9.	क्या आपने कार्यकारी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा ब्लैकलिस्टिंग आदि से संबंधित शपथ-पत्र के रूप में वचन-पत्र संलग्न किया है।	हाँ/नहीं
10.	पिछले तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति	हाँ/नहीं

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मोहर